

// सचिवालय, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग(छ.ग.) //

क्र./सचिवालय/2017/

भिलाई-चरौदा, दिनांक / / 2017

कार्यसूची:-

सामान्य सभा बैठक दिनांक 11.10.2017

सम्मिलन के लिये सूचना में सम्मिलित किये जाने वाली विषय की कार्यसूची निम्नानुसार होगी :-

क -	पूर्ववती सम्मिलन के कार्यवृत्त की पुष्टि करना यदि उसकी पुष्टि उस सम्मिलन में न हुई हो।	समय 11:00 से 11:30 तक
ख -	पार्षदों द्वारा पूछे गये प्रश्न तथा उसके उत्तर	समय 11:30 से 12:30 तक
ग -	महत्वपूर्ण पत्र के संबंध में जानकारी	समय 12:30 से 12:45 तक
घ -	कार्यसूची के शेष कामकाज जो पूर्ववर्ती सम्मलेन में शामिल न किये जा सके हो	समय 12.45 से 01.00 तक
	(लंच टाईम)	समय 01:00 से 02:00 तक
ङ -	समितियों या मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सुझाव तथा प्रस्ताव।	
	संलग्न विषय सूची	समय 02:00 से 04:00 तक
च -	पार्षदों द्वारा लोक महत्व के विषयों पर वक्तव्य देने हेतु सुझाव।	
		समय 04:00 से 04:30 तक

द्वितीय दिवस दिनांक 12.10.2017

च - पार्षदों द्वारा लोक महत्व के विषयों पर वक्तव्य देने हेतु सुझाव।

1. श्री जी रामा रेड्डी एल्डरमेन - निगम के 40 वार्डों में लगभग 15 वार्ड रेल्वे क्षेत्र के अंतर्गत है। रेल्वे क्षेत्र में होने के कारण पार्षद निधि या अन्य कोई विकास कार्य नहीं किया जा सकता क्यों न हम निगम प्रशासन रेल्वे मंत्री को पत्र लिखकर विकास के संबंध में चर्चा करे मार्गदर्शन प्राप्त करें।
2. श्री आशीष वर्मा पार्षद वार्ड कं. 06 - 1. तालाब ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। निस्तारी के समय ठेकेदार द्वारा मछली मारकर पानी को गंदा कर दिया जाता है।
2 क्षेत्र के समस्त कंपनी को राजस्व के संबंध में नोटिस दिया जावे और टैक्स जमा कराई जावें।
3 उमदा मे निर्मित बॉम्बे आवास 50 नग जिसमें से 01 नग निगम के स्वास्थ्य विभाग के स्टोर व शेष 49 नग को शासन नियम शर्त के तहत शीघ्र आबंटन किया जावे।
4 एल ई डी लाईट पर लगने वाले कॉपर वायर न लगाने ।
5 ओ डी एफ के तहत महिलाओं हेतु कार्यालय में प्रसाधन बनाने की मांग की गई।
3. श्रीमती के वर लक्ष्मी एल्डरमेन - 1 दादर रोड में लगने वाले बाजार की गंदगी की सफाई करने।
2 काली मंदिर मार्ग के पास नव निर्मित मार्ग की सफाई।
3 चरौदा हाउसिंग बोर्ड में रोड बनाने की मांग की गई।
4. श्री राम सूर्यवंशी पार्षद वार्ड कं. 21 - 1 ऐतिहासिक देवबलौदा शिव मंदिर को शिव तीर्थ बनायी जावें।
2 सांसद विधायक की भांति पार्षदों के लिये भी पेंशन की व्यवस्था हो शासन को मांग प्रेषित किया जावें।
3 विकास कार्यों के लिये राज्य शासन से कितनी राशि आयी है कि जानकारी चाही गई है।
4 निगम में पर्याप्त वाहन होने के बावजूद नई वाहन कय क्यों किया जा रहा है।
5 शासन के सभी योजनाओं के लाभ गरीबी रेखा के नीचे को ही दिया जाता है। इसका लाभ रेल्वे क्षेत्र के निवासियों को भी दिया जावें। जल आवर्धन योजना के क्रियान्वयन में डलने वाले हर वार्ड के रोड छतिग्रस्त हो गया है ठीक करवाई जावें।

5. श्री सुशील शर्मा एल्डरमैन - 1 शा.उ.मा.शाला भिलाई-3 की स्थिति स्पष्ट हो उनके कर्मचारी निगम के है या शासकीय है श्री लेखराम देवांगन सहा. ग्रेड 2 के पुत्री के ईलाज के लिये मांग की गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति लंबित है एवं सहा. शिक्षक श्री एम एस कोठारी के द्वारा लिये गये चिकित्सा लाभ की रिकवरी क्यों कि जा रही है।
6. श्री सुरज बंधोर पार्षद वार्ड कं. 02 - 1 डी आई सी की जमीन होने से निगम क्षेत्र में क्या कार्य किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है।
2 औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण हथखोज के आस-पास पर्याप्त वृक्षारोपण किया जावें।
3 क्षेत्र के 252 कंपनी में सफाई नहीं की जाती।
4 शमशान घाट में वृक्षारोपण किया जावें।
7. श्री श्यामरतन साहू एल्डरमैन - निगम क्षेत्र के समस्त शमशान घाट में लाईट लगाई जावे।
8. कुमारी बिंदु शर्मा पार्षद वार्ड कं. 23 - 1 पार्षद निधि की जानकारी समय-समय पर देने
2 अवैध निर्माण के लिये समिति बनाने की मांग की गई। जिसमें सभापति महोदय द्वारा आसंदी से महापौर, सभापति, आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, राजस्व निरीक्षक, आवास पर्यावरण एवं राजस्व व बाजार के प्रभारी के साथ कुमारी बिंदु शर्मा, श्रीमती कुंती लहरे, श्री संतोष तिवारी, श्री राम सूर्यवंशी के साथ एक विशेष समिति का गठन किया गया। साथ ही निगम में उपस्थित पार्षदों द्वारा निगम का तोड़ू दस्ता गठन किया जावे की मांग प्राप्त हुई।
9. श्री राजेश दाण्डेकर पार्षद वार्ड कं. 17 - 1 सफाई की समस्या, नाली साफ नहीं होना व वार्ड में कचरा उठाने हेतु जे सी बी की मांग की गई, सुअर खाली प्लाटो में परेशान कर रहे है, निहारिका परिसर में व्यवसायिक परिसर होने के बावजूद छोटे छोटे टपरे बने हुये है व आस-पास गंदगी व मच्छरों का आलम है।
2 एल ई डी लाईट जल ही रही है जिससे दिपावली में रोशनी नहीं हो पाएगी।
3 सिरसागेट चौक पर आबंटित गुमटी में कुछ लोगों के द्वारा मांस विक्रय लगातार किया जा रहा है एवं मदिरा पान की शिकायत।
4 निगम के मंगल भवन की स्थिति दयनीय है। टॉयलेट के नल दरवाजे टूटे है पंखे चल नहीं रहे है।
5 राशन दुकान संबंधित वार्ड में ही संचालित हो और राशन दुकान की निगरानी के लिये समिति बनाई जावे राशन दुकान में गरीबों के साथ दुर व्यवहार किया जाता है आंगनबाडी में पोषण आहार आने के बावजूद पर्याप्त पोषण बच्चों को नहीं मिल पाता आंगनबाडी निगरानी की समिति बने एवं राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिये धूप पानी बरसात के लिये शेड का निर्माण किया जावे।
सभापति महोदय द्वारा धारा 48 का उपयोग करते हुये सदन में चुने हुये जनप्रतिनिधियों की मांग पर निगरानी समिति बनाने की बात कही गई जिस पर धारा 6 और 7 के उल्लेखित अनुसार समिति बनाने का अधिकार निगम को है। (सभापति महोदय द्वारा बनाई जाने वाली समिति के संबंध में विधिक सलाहकार से सलाह लिया जावे) सभापति महोदय द्वारा एम.आई.सी. के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में बिना किसी बाधा पहुंचाये उप समिति कार्य करेगी की बात की गई। इस उप समिति में महापौर, सभापति, आयुक्त, खाद्य विभाग प्रभारी, महिला एवं बाल विकास प्रभारी, श्रीमती कुंती लहरे (पार्षद), श्रीमती किरण नायडू (पार्षद), श्री राजेश दाण्डेकर (पार्षद), श्री संतोष तिवारी (पार्षद), श्री राम सूर्यवंशी (पार्षद) शामिल करते हुये गठित की जाती है।
10. श्रीमती कुंती लहरे पार्षद वार्ड कं. 05 - 1 दादर जाने वाले मार्ग काफी सकरी है, रोड चौड़ीकरण किया जावे एवं आंगनबाडी केन्द्रों की सतत् निगरानी किया जावे।

11. श्री संताष तिवारी पार्षद वार्ड कं. 08- 1 नगर निगम द्वारा स्थापित मंगल भवन में सुविधा का अभाव है, जनप्रतिनिधियों को छूट का क्या प्रावधान है, विगत माह होली मिलन ,तीज मिलन जैसे कई समरोह आयोजित किये गये क्या उनकी राशि निगम कोष में जमा कराई गई है, जानकारी दी जावे।
आयुक्त द्वारा परीक्षण कर अवगत कराने की बात कही गई।
12. श्री बहलराम साहू पार्षद वार्ड कं. 01- 1 निगम क्षेत्र के समस्त सार्वजनिक स्थल जैसे बाजार, बस स्टैण्ड, आदि में चलित यूरिनल रखने एवं सभी मुक्तिधाम को सौन्दर्यकरण करने की बात कह गई।
13. श्री लावेश कुमार पार्षद वार्ड कं. 14- 1 मुक्तिधाम में रियायत दर पर लकड़ी की व्यवस्था हों।
- 2 पार्षदों के लिये टेबल, कुर्सी, फर्नीचर की व्यवस्था।
 - 3 वार्ड के लोगो को पानी नहीं मिल रहा है।
 - 4 लगाये जा रहे एल.ई.डी.लाईट के संबंध में बात कही गई।
 - 5 निगम के चल रहे न्यायलयीन प्रकरण के संबंध में हो रहे अनावश्यक व्यय के संबंध में बात कही गई।
 - 6 निगम के कीमत जमीन जो न्यायलय के प्रकरण में उलझे हुये हैं के संबंध में।
 - 7 निगम के आय व्यय अवलोकन में राजस्व वसूली ठीक ढंग से करने बात कही गई।


सचिव


अध्यक्ष